न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 57/2012 दायर दिनाँक 05.03.2012

वादीगण

1. तुलछीदेवी पत्नी रामेश्वर (फौत)
1/1 बिरदीचन्द पुत्र रामेश्वर
1/2 मुकेश पुत्र रामेश्वर
1/3 सुनिता पुत्री रामेश्वर
समस्त जाति मेघवाल निवासी निमोद तहसील डीडवाना जिला–नागौर राज0 वगैराह

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. गणेशाराम पुत्र मंगला
2. केशराराम पुत्र मंगला
3. मोहनराम पुत्र मंगला
4. शिवदान पुत्र मंगला
5. तुलछाराम पुत्र मंगला
6. मोरली पत्नी मंगला
7. पूरणमल पुत्र दुलाराम
8. जगदीश पुत्र धन्नाराम
9. छितरमल पुत्र धन्नाराम
10. प्रकाश पुत्र धन्नाराम
11. चन्द्रा पुत्र धन्नाराम
12. पेमाराम पुत्र लादुराम (फौत)
12/1 नाथीदेवी पत्नी पेमाराम
12/2 रामनिवास पुत्र पेमाराम
12/3 प्रभुराम पुत्र पेमाराम
12/4 गीता पुत्री पेमाराम
12/5 बिदामी पुत्री पेमाराम
13. पूसाराम पुत्र लादुराम
14. गोपाल पुत्र लादुराम
15. मोती पुत्र बीरदाराम
16. नाथू पुत्र कानाराम
17. रामदेव पुत्र उमाराम
18. आत्माराम पुत्र खूमाराम
19. अणची पुत्री खूमाराम
20. ग्यारसी पुत्री खूमाराम
21. गुलाबीदेवी पत्नी बालूराम
22. छीतरमल गोद पुत्र बालूराम
23. चम्पालाल पुत्र लिछमण
24. गोविन्दराम पुत्र लिछमण
25. गिरधारी पुत्र लिछमण
26. पूरण पुत्र दुलाराम
27. नन्दा पुत्र दुलाराम
28. बनवानी पुत्र दुलाराम समस्त जाति मेघवाल निवासी निमोद तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 वगैरह
29. तहसीलदार, डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:55:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

दावा बाबत् बंटवारा
अन्तर्गत धारा–53, R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री ओमप्रकाश पूनियां वकिल वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 13.07.2022

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि मौजा निमोद की सरहद में खेत खसरा सं0 418 रकबा 34.05 बीघा, खसरा सं0 417 गै0मु0 पड़तल कुआं व सारण भूमि में वादीनी व प्रतिवादीगण सं0 01 ता 28 का सामलाती कब्जे काश्त व खातेदारी का स्थित है। नकल खतोनी संवत 2067 से 2070 पेश है। उक्त खेत राजस्व रेकर्ड में चाही–2 रकबा 15.08 बीघा व गैर आबपास 18. 17 बीघा कुल रकबा 34.05 बीघा है। जिसकी बिगौडी 36 रू0 96 पैसे देय है तथा गैर आबपास की रेट 75 पैसा प्रति बीघा है और 14.14 रू0 बिगौडी देय है। कुल रकम 51.10 रू0 है। कुल जमीन 34.05 बीघा निम्न भागों में बंटी हुई है जो बाहमी बन्टवाडे से बन्टी हुई है जो निम्न प्रकार हैः–

1. उत्तरी भाग– 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं0 07 से 11 तक
2. पूर्वी दक्षिणी भाग– 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं0 12 से 22 तक
3. उत्तर–पश्चिम भाग– 1/8 हिस्सा वादीनी व दक्षिण–पश्चिम 1/8 हिस्सा प्रतिवादीगण सं0 01 ता 06 का सामलाति हिस्सा।
4. उत्तरी व दक्षिणी हिस्से की जमीन के बीच में 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं0 23 से 28 तक

उक्त बाहमी बन्टवाडें के अनुसार मौके पर कुल जमीन का नजरी नक्शा वादीनी ने बनाया है जो दावें के साथ सलंग्न है। उक्त नजरी नक्शा दावें का भाग है। नक्शे के अनुसार बन्टवाडा किया जावें।

उक्त खेत की कुल जमीन सभी पक्षकारान की सामलाती कब्जे काश्त की है। केवल सुविधा के अनुसार बहामी बन्टवारा किया हुआ है। क्योंकि अब कुऐं में पानी नहीं है और सिचाई नहीं होती है। इसलिए सब पक्षकारान अपने अपने हिस्से की जमीन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से बन्टवारा कर राजस्व रेकर्ड में अपने–अपने हिस्से की अलग–अलग खातेदारी करने के इच्छुक है। इसलिए यह बन्टवारा का दावा करना लाजमी आया हैं।

प्रार्थना वादीनी है कि वाके सरहद निमोद के खसरा सं0 418 रकबा 34.05 बीघा का बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से वादीनी व प्रतिवादी सं0 01 से 28 के बीच वादीनी के नजरी नक्शा के अनुसार उनके हिस्से की खातेदारी की जमीन के अनुसार कर उनके नाम अलग–अलग खातेदारी में दर्ज किया जावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी सं0 01 से 29 को जरिये समन तलब किया। बावजुद तामिल के अनुपस्थित। अतः इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

साक्ष्य वादी में वादी बिरदीचन्द का शपथ पत्र पेश हुआ तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 जमाबन्दी संवत 2067–70, प्रदर्श–2 ट्रेस नक्शा, प्रदर्श–3 नजरी नक्शा प्रदर्शित किये।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः, बाद विवेचन, वाद वादीगण डिक्री सादिर किया जाता है।

कलक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:55:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

—:आदेश :—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद निमोद के पुराने खसरा सं0 418, 417 गै0मु0 पड़तल कुआं व सारण के नये खसरा सं0 786, 785 का वादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार बंटवारा कर वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 28 को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **13.07.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

दिनांक :- 23/8/22

नोट:- फुला पत्नी लादु व चन्दी पत्नी किशनाराम का नाम निर्णय एवं डिक्री में जोड़ा जाता है तथा प्रतिवादी सं0 28 का नाम भंवरी के स्थान पर भंवरी दुरुस्त किया जाता है। प्रतिवादी सं0 11 का नाम चन्दा पुत्र धन्नाराम के स्थान पर चन्दा पत्नी धन्नाराम दुरुस्त किया जाता है। नजरी नक्शा में 1/8 भाग प्रति. सं. 23 ता 25 के स्थान पर प्रति0 सं0 23 ता 27 पढ़ा जावे तथा 1/8 भाग प्रति0 सं0 26 ता 28 के स्थान पर प्रतिवादी सं0 28 पढ़ा व समझा जावे।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:55:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 57/2012 दायर दिनाँक 05.03.2012

वादीगण

तुलछीदेवी पत्नी रामेश्वर (फौत)
1/1 बिरदीचन्द पुत्र रामेश्वर
1/2 मुकेश पुत्र रामेश्वर
1/3 सुनिता पुत्री रामेश्वर
समस्त जाति मेघवाल निवासी निमोद तहसील डीडवाना जिला—नागौर राज0 वगैराह

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. गणेशाराम पुत्र मंगला
2. केशराराम पुत्र मंगला
3. मोहनराम पुत्र मंगला
4. शिवदान पुत्र मंगला
5. तुलछाराम पुत्र मंगला
6. मोरली पत्नी मंगला
7. पूरणमल पुत्र दुलाराम
8. जगदीश पुत्र धन्नाराम
9. छितरमल पुत्र धन्नाराम
10. प्रकाश पुत्र धन्नाराम
11. चन्द्रा पुत्र धन्नाराम
12. पेमाराम पुत्र लादुराम (फौत)
12/1 नाथीदेवी पत्नी पेमाराम
12/2 रामनिवास पुत्र पेमाराम
12/3 प्रभुराम पुत्र पेमाराम
12/4 गीता पुत्री पेमाराम
12/5 बिदामी पुत्री पेमाराम
13. पूसाराम पुत्र लादुराम
14. गोपाल पुत्र लादुराम
15. मोती पुत्र बीरदाराम
16. नाथू पुत्र कानाराम
17. रामदेव पुत्र उमाराम
18. आत्माराम पुत्र खूमाराम
19. अणची पुत्री खूमाराम
20. ग्यारसी पुत्री खूमाराम
21. गुलाबीदेवी पत्नी बालूराम
22. छीतरमल गोद पुत्र बालूराम
23. चम्पालाल पुत्र लिछमण
24. गोविन्दराम पुत्र लिछमण
25. गिरधारी पुत्र लिछमण
26. पूरण पुत्र दुलाराम
27. नन्दा पुत्र दुलाराम
28. बनवानी पुत्र दुलाराम समस्त जाति मेघवाल निवासी निमोद तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 वगैरह
29. तहसीलदार, डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:45:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

दावा बाबत् बंटवारा
अन्तर्गत धारा 53, R.T. Act.

दिनाँक 13.07.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री ओमप्रकाश पूनिया वकील वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद निमोद के खसरा सं0 418 रकबा 34.05 बीघा का वादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार बंटवारा कर वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 28 को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा निर्णय एवं डिक्र का अभिन्न अंग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–................ बाबत.........................–............ ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 13.07.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

दिनांक :- 23/8/22

नोट :- फूला पत्नी लादु व चन्दी पत्नी बिरदाराम नाम निर्णय एवं डिक्री में जोड़ा जाता है। प्रतिवादी सं० 28 का नाम बनवारी के स्थान पर बनवारी दुरुस्त किया जाता है। प्रतिवादी [illegible] चन्नाराम के स्थान [illegible] दुरुस्त किया जाता [illegible] 48 अपर प्रति- सं० 23 ता 25 के [illegible] प्रति- सं० 23 ता 27 [illegible] सं० 26 ता 28 के स्थान पर पढ़ा जावे तथा 48 अपर प्रति- सं० 28 पढ़ा व समझा जावे।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:55:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner